प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित किया गया :27.10.2025

निर्णय पारित किया गया:12.11.2025

दोषमुक्ति अपील संख्या 65/2013

नंकी बाई सेन पति श्री सनत सेन लगभग 35 वर्ष निवासी गाँव-कुर्रा, पुलिस चौकी-खंडसारा, नागरिक तथा राजस्व जिला बेमेतारा छ.ग.

---अपीलार्थी

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी के द्वारा ,पुलिस थाना बेमेतारा, जिला बेमेतारा छ.ग.

2 - रमेश कुमार पिता फागुवा चंद्राकर, 37 वर्ष, निवासी गाँव-कुर्रा, पुलिस चौकी-खंडसरा, नागरिक तथा राजस्व जिला बेमेतरा छ.ग.

--उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील सं 82/2014

रमेश कुमार पिता श्री फागुहा चंद्राकर, 37 वर्ष निवासी गाँव-कुर्रा, पुलिस चौकी-खंडसारा, राजस्व जिला बेमेतारा, सिविल जिला बेमेतारा छ.ग.

---अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस चौकी खानसरा के द्वारा , पुलिस थाना बेमेतरा, राजस्व जिला बेमेतरा छ.ग. सिविल जिला बेमेतरा,छ.ग.

---- उत्तरवादी

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

दोषमुक्ति अपील संख्या.65/2013 में अपीलार्थी हेतु	:-	सुश्री शर्मिला सिंघई, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री कंचन कलवानी, अधिवक्ता
सी. आर. ए. सं.82/2014 में अपीलार्थी तथा ए. सी. क्यू. ए. सं.65/2013 में उत्तरवादी संख्या 2 हेतु	:-	श्री शोभित कोष्टा, अधिवक्ता
राज्य हेतु :	:-	श्री अंकुर कश्यप, उप शासकिय अधिवक्ता

माननीय श्रीमती. रजनी दुबे, न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

सीएवी निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश के अनुसार ,

1. चूंकि परिवादी की ओर से दायर की गई दोषमुक्ति अपील और आरोपी/अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई दाण्डिक अपील दोनों ही विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए एक ही निर्णय से संबंधित हैं, और चूंकि दोनों अपीलों में शामिल विचारण आपस में जुड़े हुए हैं और तथ्यों और साक्ष्यों के एक ही समूह पर आधारित हैं, इसलिए उन्हें एक साथ सुनना उचित और न्याय के हित में समझा गया।तदनुसार, दोनों अपीलों को एक साथ मिलाकर, समरूप रूप से सुना गया है और इस सामान्य निर्णय द्वारा इनका निराकरण किया जा रहा है।

2. परिवादी की ओर से दोषमुक्ति अपील संख्या 65/2013 दायर की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के राजस्व जिला बेमेतरा, दुर्ग, सिविल जिला बेमेतरा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र विचारण संख्या 36/2012 में दिनांक 07.08.2013 को पारित निर्णय की वैधता, विधिमान्यता तथा और औचित्य को चुनौती दी गई है। उक्त निर्णय द्वारा, विचारण न्यायालय ने उत्तरवादी संख्या 2, रमेश कुमार को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, 'आईपीसी') की धारा 342, 506-बी और 376 के तहत दंडनीय आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है और उसे केवल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (संक्षेप में, 'आईटी अधिनियम') की धारा 67 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।उक्त दोषसिद्धि हेतु ,उत्तरवादी संख्या 2 को 50,000/- रुपये का जुर्माना अदा करने का दंड पारित किया गया है, और जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।

3. दाण्डिक अपील संख्या 82/2014 अभियुक्त/अपीलकर्ता रमेश कुमार द्वारा दायर की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के राजस्व जिला दुर्ग, सिविल जिला बेमेतरा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र विचारण संख्या 36/2012 में दिनांक 07.08.2013 को पारित उसी निर्णय की वैधता, औचित्य तथा विधिमान्यता को चुनौती दी गई है।उक्त निर्णय द्वारा, विद्वान विचारण न्यायालय ने उन्हें आईपीसी की धारा 342, 506-बी और 376 के तहत दंडनीय आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है और उन्हें केवल आयकर अधिनियम की धारा 67 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, और जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें तीन महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।

4. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में यह है कि पीड़िता और आरोपी रमेश कुमार चंद्रकार, बेमेतरा जिले के खांडसारा पुलिस थाना के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक ही गांव कुर्रा के निवासी थे।अभियुक्त के बगीचे में पानी के लिए एक बोरवेल था, और वह (पीडब्लू-2) और उसकी पत्नी (पीडब्लू-1) दोनों उक्त गांव में आयोजित "छत्ती" कार्यक्रम के दौरान नाव चलाने का काम करते थे।

5. अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता (पी डब्लू -1) ने खांडसारा पुलिस स्टेशन, बेमेतरा में परिवाद दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि ज्येष्ठ माह के पिछले महीने में वह आरोपी रमेश चंद्रकार के घर पानी लेने गई थी।उस समय आरोपी घर पर अकेला था।इस स्थिति का लाभ उठाते हुए, उसने कथित तौर पर उसे चाकू से धमकाया, उसे एक कमरे में ले जाने के लिए विवश किया गया और उसके बाद उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए।आगे यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने उक्त कृत्य को वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड किया और बाद में उस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल महिला को धमकाने और बार-बार यौन शोषण करने के लिए विवश करने में किया था।जब महिला ने विरोध किया, तो उसने वीडियो को सार्वजनिक करने और ग्रामीणों तथा उसके पति को दिखाने की धमकी दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. आगे यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने वास्तव में उक्त अश्लील वीडियो कुछ ग्रामीणों को दिखाया था, और रजनीकांत को भी अन्य लोगों को वीडियो क्लिप दिखाते हुए देखा गया था।पीड़िता के पति सनत सेन (पीडब्लू-2) को इस प्रदर्शन के माध्यम से घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी गई।

7. इस रिपोर्ट के आधार पर, इंस्पेक्टर ए.एस. खान ने आईपीसी की धारा 342, 506-बी और 376 तथा आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एक्स पी/-18) दर्ज की। अन्वेषण के दौरान, एएसआई शिवनंदन साहू द्वारा एक घटनास्थल का नक्शा (एक्स पी/-2) और पटवारी मनबोधी (पीडब्लू-3) द्वारा एक अन्य नक्शा (एक्स पी/-3) तैयार किया गया था।पीड़िता की सहमति प्राप्त करने के बाद डॉ. राजश्री देवधर (पी डब्लू-14) द्वारा उसकी चिकित्सकीय जांच की गई (प्रदर्श पृष्ठ-4) और एक रिपोर्ट (प्रदर्श पृष्ठ-13) तैयार की गई।डॉ. एस.के. शर्मा (पी डब्लू-11) ने आरोपी की परीक्षा की और एक रिपोर्ट (प्रदर्श पृष्ठ-11) प्रस्तुत की जिसमें यौन संबंध बनाने की उसकी क्षमता की पुष्टि की गई।

8. अन्वेषण के दौरान, पीड़िता का सूती लहंगा जब्त किया गया (प्रदर्श पृष्ठ-5), और आरोपी का एक अंतर्वस्त्र (प्रदर्श पृष्ठ-16)जब्त किया गया ।उक्त वीडियो क्लिप वाला एक मोबाइल फोन (मॉडल एन-नासाकी एम-3) भी आरोपी से जब्त किया गया (प्रदर्श पृष्ठ-15)।इसके अलावा, अभियोक्ता के पति (पीडब्लू-2) के बयान के आधार पर रजनीकांत से कथित घटना की वीडियो क्लिप वाला 2 जीबी मेमोरी कार्ड जब्त किया गया, जिसे रजनीकांत से प्राप्त करने के बाद उसने अपने पास रखा था (प्रदर्श पी-8)।

9. जब्त की गई सभी वस्तुओं को परिक्षण के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) भेजा गया और संबंधित रिपोर्ट प्राप्त हुई।इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया (प्रदर्श पी-17) और उसके परिवार के सदस्यों को सूचना दी गई।

10. अन्वेषण पूरा होने तथा साक्षीयों के बयान दर्ज करने के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 506-बी और 376 तथा आयकर अधिनियम की धारा 67 के तहत अपराधों के लिए बेमेतरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आरोप पत्र (संख्या 122/2012) दायर किया गया था।

11. बाद में यह प्रकरण सत्र न्यायालय को सौंपा गया, जहाँ इसे सत्र विचारण सं. 36/2012 के रूप में दर्ज किया गया था।तदनुसार आरोप निर्धारित किए गए, जिन पर आरोपी ने निर्दोष होने का दावा किया तथा वाद की मांग की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त आरोपों को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 21 साक्षी (पीडब्ल्यू-1 से पीडब्ल्यू-21 तक) से परीक्षा गई है और 21 दस्तावेज़ (एक्स. पी-1 से एक्स. पी-21 तक) प्रदर्शित किए गए हैं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से किसी भी बचाव पक्ष के साक्षी की परीक्षा नहीं की गई है, लेकिन उसने एक्स. डी-1 और एक्स. डी-2 के रूप में चिह्नित 2 दस्तावेज़ प्रदर्शित किए हैं।दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'सीआरपीसी') की धारा 313 के तहत अपने बयान में, आरोपी ने सभी आरोपों से इनकार किया, अपनी निर्दोषता का दावा किया और कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसकी ओर से कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।

13. विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सुनवाई करने तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त/अपीलकर्ता रमेश कुमार को आयकर अधिनियम की धारा 67 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और दंड पारित किया गया तथा उसे आईपीसी की धारा 342, 506 बी और 376 के तहत दंडनीय अपराध से दोषमुक्त कर दिया, जिसके विरुद्ध उपर्युक्त दोषमुक्त करने की अपील और दाण्डिक अपील क्रमशः परिवादी और अभियुक्त द्वारा दायर की गई है।

14. दोषमुक्ति अपील संख्या 65/2013 में परिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री शर्मिला सिंघाई और उनकी सहायक अधिवक्ता सुश्री कंचन कलवानी ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने उत्तरवादी संख्या 2 को आईपीसी की धारा 342, 506-बी और 376 के तहत आरोपों से दोषमुक्त करने और उसे केवल आयकर अधिनियम की धारा 67 के तहत दोषी ठहराने में त्रुटि की है। यह तर्क दिया गया कि आक्षेपित निर्णय

में अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का घोर दुरुपयोग किया गया है और विचारण न्यायालय पीड़िता के कथन का उचित मूल्यांकन करने में विफल रही, जो स्वयं आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त थी। यह प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता (पीडब्लू --1) ने अपनी स्पष्ट और निश्चित कथन में कहा था कि घटना वाले दिन, आरोपी/उत्तरवादी संख्या 2 ने चाकू की नोक पर धमकाकर अपने घर में उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए।

15. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आपराधिक न्यायशास्त्र का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोक्ता की एकमात्र कथन, यदि विश्वसनीय और भरोसेमंद पाई जाती है, तो उसे किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है, और उस पर दोषसिद्धि सुरक्षित रूप से आधारित हो सकती है।इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह औरअन्य (1996) 2 एससीसी 384** के निर्णय पर भरोसा किया गया, विशेष रूप से कंडिका 8, 17 और 21 पर, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिला का साक्ष्य घायल साक्षी के साक्ष्य के बराबर है और केवल पुष्टि की कमी के आधार पर उस पर अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. सुश्री सिंघाई ने आगे कहा कि विचारण न्यायालय एफआईआर दर्ज करने में हुये विलंब के कारणों को समझने में विफल रहा । उन्होंने तर्क दिया कि बलात्कार जैसे अपराधों के प्रकरण में, पीड़ित को सामाजिक कलंक, भय और आघात के कारण पुलिस को सूचना देने में विलंब होना एक सामान्य और स्वाभाविक घटना है।पीड़िता, जो एक विवाहित महिला है और एक छोटे से गाँव में रहती है, शुरू में अपमान और मानहानि के डर से घटना को सार्वजनिक करने से हिचकिचा रही थी।इसलिए, एफआईआर दर्ज करने में लगभग छह महीने की देरी का पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जा सकता है और इसका उपयोग पीड़ित की विश्वसनीयता पर संदेह करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए था।इस तर्क के समर्थन में, फूल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2022) 2 एससीसी 74 पर भरोसा किया गया था।

17. सुश्री सिंघाई ने यह तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से यह साबित कर दिया है कि आरोपी/ उत्तरवादी संख्या 2 ने पीड़िता की जानकारी या सहमति के बिना बलात्कार की घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया था और बाद में उसी वीडियो का इस्तेमाल पीड़िता को बार-बार यौन शोषण के लिए ब्लैकमेल करने के लिए किया।यह अवधारणा करते हुए भी (बिना स्वीकार किए) कि पीड़िता ने शुरू में यौन संबंध के लिए सहमति दी थी, यदि पीड़िता को वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से बेनकाब करने की धमकी देकर ऐसी सहमति प्राप्त की गई थी, तो विधि की दृष्टि में इसे स्वतंत्र सहमति नहीं माना जा सकता है। इसलिए, आरोपी/ उत्तरवादी संख्या 2 के कृत्य स्पष्ट रूप से जबरदस्ती और धमकी के तहत यौन संबंध बनाने के बराबर थे, जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की कड़ी कार्यवाही लागू होती है।

18. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65-बी के कथित उल्लंघन के संबंध में विचारण न्यायालय का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण था।यह तर्क दिया गया था कि जब्त किया गया मेमोरी कार्ड (एक्स पी/ -6) और मोबाइल फोन (एक्स पी/ -15), जो प्राथमिक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड

वाले मूल उपकरण थे, विशेषज्ञ साक्षी ए.एल. चतुर्वेदी ((पीडब्लू 21) द्वारा विधिवत रूप से प्रदर्शित तथा परीक्षा गई थी।अतः, धारा 65-बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र की आवश्यकता लागू नहीं होती थी।इस निवेदन के समर्थन में, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विक्रम सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2017) 8 एससीसी 518 (कंडिका 26) और अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल और अन्य, (2020) 7 एससीसी 1 (कंडिका 32-34) के निर्णयों पर भरोसा किया गया,** जिनमें स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि जब प्राथमिक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य स्वयं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है।

19. सुश्री सिंघाई ने आगे यह तर्क दिया है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने आईपीसी की धारा 376 के तहत उत्तरवादी संख्या 2 को दोषमुक्त करते समय साक्ष्यों का उचित परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन नहीं किया और पीड़िता की सुसंगत, स्वाभाविक और विश्वसनीय कथन पर अविश्वास करने का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।यह तर्क दिया गया है कि पूरी कार्यवाही के दौरान पीड़िता का आचरण सुसंगत रहा है और उसकी गवाही की पुष्टि चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्शनी पृष्ठ-13), फोरेंसिक साक्ष्य और आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्डिंग वाले मोबाइल फोन और मेमोरी कार्ड की बरामदगी से हुई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अंत में, परिवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आक्षेपित निर्णय, जिस विस्तार तक उत्तरवादी संख्या 2 को धारा 376 आईपीसी के तहत आरोप से दोषमुक्त करता है, उसे अपास्त किये जाने योग्य है।यह प्रार्थना की जाती है कि अभिलेख पर मौजूद प्रचुर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत, लोक मल उर्फ लोकु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2025) 4 एससीसी 470 में दिए गए निर्णय के अनुसार, धारा 376 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि में दोषमुक्त करने के निर्णय को परिवर्तित किया जाए।

21. दूसरी ओर, दोषमुक्ति करने की अपील संख्या 65/2013 में उत्तरवादी संख्या 2 और आपराधिक अपील संख्या 82/2014 में अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री शोभित कोष्टा ने परिवादी हेतु विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए उपरोक्त तर्कों का विरोध किया और कहा कि विचारण न्यायालय ने आईपीसी की धारा 342, 506-बी और 376 के तहत आरोपियों को दोषमुक्त करते समय रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का उचित आकलन किया था। यह तर्क दिया गया कि आयकर अधिनियम की धारा 67 के तहत आरोपियों को दोषी ठहराना विधि और तथ्यों के आधार पर पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण था।उन्होंने आगे कहा कि विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय के कंडिका 43 में अपीलकर्ता को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत अपराध के लिए केवल उस मेमोरी कार्ड (प्रदर्श पी-6) के आधार पर दोषी ठहराया गया था, जिसे पीडब्लू-2 सनत सेन (पी. पीड़िता के पति) की अभिरक्षा से कथित तौर पर जब्त किया गया था।उक्त मेमोरी कार्ड में आरोपी और पीड़िता के बीच कथित यौन संबंध का वीडियो रिकॉर्डिंग होने का दावा किया गया था।

22. श्री कोष्टा ने तर्क दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65-बी(4) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र के अभाव में इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है।आगे यह भी बताया गया है कि

प्रश्नगत मेमोरी कार्ड अन्वेषण अधिकारी ने पीडब्लू 2 सनत सेन से जब्त किया था, जिसने स्वयं अपने बयान के अनुच्छेद 3 में स्वीकार किया था कि उसने इसे पीडब्लू 5 रजनीकांत से प्राप्त किया था, जब उसने उसे उक्त वीडियो क्लिप अन्य व्यक्तियों को दिखाते हुए पाया था।दूसरी ओर, पीडब्लू 5 रजनीकांत ने अपने बयान में कहा था कि उसे उक्त वीडियो एक चीनी निर्मित मोबाइल फोन में मिला था, जिसे उसने पीडब्लू 9 हुलास दास मानिकपुरी से खरीदा था।हालांकि, पीडब्लू- 9 हुलास दास मानिकपुरी ने पीडब्लू- 5 रजनीकांत को ऐसा कोई मोबाइल फोन बेचने से साफ इनकार किया था।उन्होंने कहा कि उपरोक्त स्वीकृत तथ्यों के तहत, यह साबित करने के लिए कोई विधिक या विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद नहीं है कि कथित मोबाइल फोन कभी आरोपी का था या किसी भी समय उसके कब्जे में था।आगे यह तर्क दिया गया कि उक्त मोबाइल फोन को अन्वेषण एजेंसी द्वारा कभी जब्त नहीं किया गया था, और इसलिए, प्राथमिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था।ऐसे प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में, उस मोबाइल फोन से कथित रूप से निकाले गए मेमोरी कार्ड को अधिक से अधिक द्वितीयक साक्ष्य माना जा सकता है, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी(4) का अनुपालन किए बिना स्वीकार्य नहीं होगा।

23. उनके निवेदन के समर्थन में, विद्वान विद्वान अधिवक्ता ने अर्जुन पंडितराव खोटकर (उपरोक्त) प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि धारा 65-बी(4) के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को द्वितीयक रूप में स्वीकार किया जाना हो, अर्थात् जब मूल उपकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न किया गया हो।अर्जुन पंडितराव खोटकर (उपरोक्त) के कंडिका 73 के सुसंगत भाग का उल्लेख दिया गया, जिसमें कहा गया था कि धारा 65-बी(4) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र केवल तभी अनावश्यक है जब मूल दस्तावेज या उपकरण स्वयं उसके स्वामी या संचालक द्वारा प्रस्तुत और सिद्ध किया गया हो।हालाँकि, ऐसे प्रकरण में जहां ऐसा मूल उपकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, धारा 65-बी(4) का अनुपालन अनिवार्य हो जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **स्टेट बाय कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु बनाम एम.आर. हीरेमठ, (2019) 7 एससीसी 515** के निर्णय पर भी भरोसा जताया गया, जिसमें यह देखा गया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में हेरफेर और परिवर्तन की संभावना बहुत अधिक होती है, और इसलिए, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए धारा 65-बी(4) के तहत सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।

25. श्री कोष्टा ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने न तो वीडियो क्लिप वाले कथित मूल मोबाइल फोन को जब्त किया और न ही उसे पेश किया, और न ही मेमोरी कार्ड (प्रदर्शनी पी-6) की प्रामाणिकता साबित करने के लिए धारा 65-बी(4) के तहत कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। अन्वेषण अधिकारी ए.एल. चतुर्वेदी (पीडब्लू-21) ने स्वयं स्वीकार किया कि आरोपी से मोबाइल उपकरण बरामद नहीं किया गया था।अतः,मेमोरी कार्ड की सामग्री द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य थी, जो आवश्यक प्रमाण पत्र के अभाव में अस्वीकार्य थी।

26. उपरोक्त विधिक स्थिति को देखते हुए, यह निवेदन किया जाता है कि अपीलकर्ता को आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत केवल ऐसे अस्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया जाना स्पष्ट रूप से अवैध, अनुचित और विधि के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत था।अतः, यह प्रार्थना की जाती है कि विचारण न्यायालय द्वारा आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज की गई दोषसिद्धि को अपास्त किया जाए और अपीलकर्ता को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाए।

27. विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री अंकुर कश्यप ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही आकलन करते हुए अपीलकर्ता को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत दोषी ठहराया गया, क्योंकि वीडियो युक्त मेमोरी कार्ड को विधिवत जब्त कर लिया गया था और विचारण के दौरान साबित भी हो गया था।उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता के अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद थे और दोषसिद्धि के सुविचारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं था।

28. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है और साथ ही अत्यंत सावधानी से अभिलेखों का अध्ययन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. वर्तमान अपीलों में विचारणीय मुख्य प्रश्न यह है कि क्या विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए तथा साथ ही भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 342, 506-बी और 376 के तहत दंडनीय अपराधों से दोषमुक्त करते हुए उचित निर्णय लिया था?

30. विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 342, 506-बी और 376 के तहत दंडनीय अपराधों से दोषमुक्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।न्यायालय ने पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में लगभग छह महीने की महत्वपूर्ण विलंब हुआ था, और इस विलंब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। न्यायालय के अनुसार, इस विलंब से अभियोजन पक्ष की कहानी की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।

31. न्यायालय ने आगे यह पाया कि पीड़िता की चिकित्सा परिक्षण में उसके शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई, और न ही जबरदस्ती यौन संबंध के कोई संकेत मिले।फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्शनी पी-21) में भी पीड़िता या आरोपी के कपड़ों पर वीर्य के धब्बे या मानव शुक्राणु की उपस्थिति का संकेत नहीं मिला, जिससे बलात्कार के आरोप की पुष्टि नहीं हो सकी।

32. विचारण न्यायालय ने मेमोरी कार्ड से प्राप्त वीडियो क्लिप में पीड़िता के आचरण पर भी ध्यान दिया। न्यायालय ने यह पाया कि तीनों वीडियो क्लिप में पीड़िता ने न तो विरोध किया और न ही भय या संघर्ष के कोई संकेत दिखाए; बल्कि, उसके हावभाव से यह प्रतीत होता है कि यह कृत्य सहमति से हुआ था।पीड़िता का कई महीनों तक चुप रहना और अपने पति द्वारा वीडियो देखे जाने के बाद ही कथित घटना का खुलासा करना, अभियोजन पक्ष के प्रकरण को और कमजोर करता है।

33. विद्वत विचारण न्यायालय ने महत्वपूर्ण साक्षीयों के बयानों में विसंगतियों और विरोधाभासों की ओर भी ध्यान दिलाया, विशेष रूप से इस संबंध में कि वीडियो कैसे प्रसारित हुआ और मोबाइल फोन और मेमोरी कार्ड कैसे बरामद किए गए।धमकी के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया चाकू कभी बरामद नहीं हुआ, और गलत तरीके से कैद करने या आपराधिक धमकी के आरोपों का समर्थन करने वाला कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं था

34. अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में इन संचयी कमियों को देखते हुए, **और नरसिंह राम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2013 (2) सीजीएलजे 213), नटवर देवांगन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2006 (3) सीजीएलजे (सप्लीमेंट 198) और पारसराम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2010 (2) सीजीएलजे1)** जैसे न्यायिक दृष्टांत पर भरोसा करते हुए, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पीड़िता यौन कृत्यों में सहमति देने वाली पक्षकार थी और अभियोजन पक्ष धारा 342, 506-बी और 376 आईपीसी के तहत अपराधों के आवश्यक तत्वों को साबित करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता को उक्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

35. दोषमुक्ति अपील में विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा धारा 372 सीआर.पी.सी. के तहत दिए गए दोषमुक्त करने के निर्णय को चुनौती दी गई है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, न्यायालय को सावधानी बरतनी चाहिए, यह मानते हुए कि विचारण न्यायालय को साक्षी के व्यवहार को देखने और उनकी विश्वसनीयता का प्रत्यक्ष आकलन करने का लाभ प्राप्त है।अभियुक्त को संदेह का लाभ पाने का अधिकार है, परंतु केवल तभी जब संदेह वास्तविक और ठोस हो, जैसे कि ऐसा संदेह जो एक समझदार व्यक्ति ईमानदारी से महसूस करे।केवल सैद्धांतिक संदेह या मामूली विसंगतियाँ जो अभियोजन पक्ष के मूल प्रकरण को प्रभावित नहीं करतीं है, दोषमुक्त करने का आधार नहीं बन सकतीं है।अपीलीय न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि विचारण न्यायालय ने सभी साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन किया है और स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप संदेह का लाभ दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने **सी. एंटनी बनाम राघवन नायर,ए. आई. आर 2003 एस. सी. 182 और रामानंद यादव बनाम प्रभुनाथ झा,ए. आई. आर 2004 एस. सी. 1053 में कहा है,** अपीलीय न्यायालय को अपना स्वयं का दृष्टिकोण तब तक प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए जब तक कि विचारण न्यायालय के निष्कर्ष विकृत या प्रासंगिक न हों, ठोस साक्ष्य को अनुचित रूप से अनदेखा न किया गया हो, या हस्तक्षेप के लिए कोई ठोस कारण न हो।

37. **तोता सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य,ए. आई. आर 1987 एस. सी. 1083** में दिए गए सिद्धांत स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि अपीलीय न्यायालय दोषमुक्त किए जाने की जाँच कर सकता है, उसे ऐसा सावधानीपूर्वक करना चाहिए।विचारण न्यायालय को साक्षीयों को देखने और उनकी विश्वसनीयता का आकलन करने का लाभ प्राप्त होता है।हस्तक्षेप केवल तभी आवश्यक है जब विचारण न्यायालय ने स्पष्ट त्रुटि की हो, महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी की हो, या अनुमान या त्रुटिपूर्ण आकलन के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है।मामूली विसंगतियाँ मूल, सुसंगत और विश्वसनीय कथन पर भारी नहीं पड़ सकतीं है, जब तक कि वे प्रकरण की जड़ तक न

पहुँचें।हस्तक्षेप केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उचित है, जहाँ ऐसा न करने से न्याय का उल्लंघन होगा, जैसा कि कंडिका 6 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः-

"…….केवल इस तथ्य के आधार पर कि अपीलीय न्यायालय साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए इच्छुक है जो विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश में दर्ज निष्कर्ष से भिन्न है, दोषमुक्ति को अपास्त करने का वैध और पर्याप्त आधार नहीं होगा।दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस सीमा से बंधित है कि दोषमुक्ति के आदेश में तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जब तक कि प्रकरण में साक्ष्यों पर विचार करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण किसी स्पष्ट अवैधता से दूषित न हो या विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष ऐसा न हो जिस पर कोई भी न्यायालय उचित और विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करते हुए नहीं पहुंच सकता था और इसलिए उसे विकृत माना जा सकता है।जहां प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों के मूल्यांकन पर दो दृष्टिकोण संभव हों और विचारण न्यायालय ने एक तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाया हो, तो अपीलीय न्यायालय विधिक रूप से दोषमुक्त करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, भले ही उसकी राय हो कि विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों पर विचार करने के बाद लिया गया दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है।"

38. **राजस्थान राज्य बनाम किस्तुरा राम, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी984** में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलीय न्यायालय को बरी किए जाने के निर्णय में हस्तक्षेप करने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।साक्षी के व्यवहार और विचारण की कार्यवाही को देखने में विचारण न्यायालय के लाभ को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।हस्तक्षेप केवल असाधारण प्रकरण में ही उचित है —जहां विचारण न्यायालय ने स्पष्ट त्रुटि की हो, महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी की हो, अनुमानों पर भरोसा किया हो, या स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची है।मामूली विरोधाभास या विसंगतियां जो अभियोजन पक्ष के मूल प्रकरण को प्रभावित नहीं करतीं है, दोषमुक्ति को उचित नहीं ठहरा सकती हैं।इस प्रकार, यद्यपि अपीलीय न्यायालय किसी दोषमुक्ति के पुनर्विलोकन कर सकता है, उसे ऐसा सावधानीपूर्वक करना चाहिए और संदेह का लाभ केवल तभी देना चाहिए जब उचित और पर्याप्त संदेह मौजूद हो,तथा निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया होः --

"8. दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप का दायरा अत्यंत सीमित है।जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय असंभव या अनुचित है, तब तक दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करना अनुमेय नहीं है।इसी प्रकार, यदि दो दृष्टिकोण संभव हों, तो केवल इस आधार पर दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त करना अनुमेय नहीं है कि अपीलीय न्यायालय को दोषसिद्धि का दूसरा दृष्टिकोण अधिक संभावित लगता है।हस्तक्षेप केवल तभी उचित होगा जब लिया गया दृष्टिकोण बिल्कुल भी संभव नहीं है।"

39. इसके अलावा, **जाफरूद्दीन और अन्य बनाम केरल राज्य के प्रकरण में,(2022) 8 एससीसी 440, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः--**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"25.दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय, अपीलीय न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या विचारण न्यायालय के विचार उचित है, विशेषकर जब अभिलेख पर साक्ष्य का विश्लेषण किया गया हो। इसका कारण यह है कि दोषमुक्ति का आदेश अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की धारणा को बढ़ाता है। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए दोषमुक्त करने के आदेश को पलटने में अपेक्षाकृत धीमी गति से काम करना चाहिए।अतः, आरोपी के पक्ष में निर्दोषता की धारणा कमजोर नहीं होती है,बल्कि और मजबूत हो जाती है।अभियुक्त के पक्ष में बनी ऐसी दोहरी धारणा को केवल स्वीकृत विधिक मापदंडों पर गहन जांच के द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है।"

40. दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, न्यायालय मौखिक और दस्तावेजी जैसे सभी साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर यह निर्धारित कर सकता है कि क्या विचारण न्यायालय ने सामग्री का सही ढंग से मूल्यांकन किया और वैध कारण दिए हैं।यदि विचारण न्यायालय के निष्कर्ष अस्थिर, त्रुटिपूर्ण या विकृत हैं, तो अपीलीय न्यायालय अपना स्वयं का निष्कर्ष निकाल सकता है।

41. इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, हमने साक्षी की विश्वसनीयता, कथनों की संगति और सिद्ध तथ्यों से निकाले गए तार्किक निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन साक्ष्य की समग्र रूप से जांच की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42. पीड़िता (पीडब्लू--1) ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा कि वह आरोपी रामेवा ड्रेकर से परिचित थी, जो उसके गांव का निवासी था।उसने बताया कि यह घटना फाल्गुन माह के आसपास घटी थी, जो पटना पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने से लगभग छह महीने पहले की बात है।उसके अनुसार, गाँव में पानी की भारी कमी थी और आरोपी के बगीचे में पानी के लिए एक बोरवेल था।उस बोरवेल तक पहुँचने के लिए आरोपी के घर से होकर गुजरना पड़ता था।घटना दिनांक को वह अकेले आरोपी के बगीचे में स्थित बोरवेल से पानी लेने गई थी। उस समय आरोपी अपने घर में अकेला था।उसने आगे बताया कि आरोपी ने उसे चाकू से धमकाया, जबरदस्ती अपने कमरे में ले गया और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलात्कार किया।पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसने इस घटना का खुलासा किसी को किया तो वह उसके पति को जान से मार देगा।उसने दावा किया कि वह बलात्कार का अर्थ समझती है और बताया कि आरोपी ने जबरदस्ती उसके और अपने कपड़े उतार दिए और उसके विरोध के बावजूद उसके साथ यौन संबंध बनाए।उसने आगे बताया कि इस कृत्य के बाद आरोपी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और फिर से धमकी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

43. पीड़िता (पीडब्लू-1) ने आगे बताया कि आरोपी के भय से उसने लगभग छह महीने तक इस घटना का खुलासा नहीं किया।बाद में, उसके पति को पता चला कि आरोपी ने घटना का वीडियो बना लिया है और उसे ग्रामीणों के बीच प्रसारित कर रहा था।अपने पति द्वारा पूछे जाने पर, उसने उसे पूरी घटना बताई, जिसके बाद पटना पुलिस थाना में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई।उसने लिखित रिपोर्ट (एक्स पी/ 1), पुलिस द्वारा तैयार किए गए घटनास्थल के नक्शे (एक्स पी/ 2), पटवारी के नक्शे (एक्स पी/ 3) और चिकित्सा परीक्षण के लिए सहमति पत्र (एक्स पी/ 5) पर अपने अंगूठे के निशान की पहचान की।उसने यह भी पुष्टि की कि पुलिस

ने घटना के समय पहने हुए उसके लहंगे को जब्त कर लिया था और जब्ती ज्ञापन (एक्स पी/ 6) तैयार किया था, जिस पर उसके अंगूठे का निशान था।उसने बताया कि उसकी चिकित्सकीय जांच की गई थी और उसने अन्वेषण के दौरान पुलिस को भी ऐसा ही बयान दिया था।

44. प्रतिपरीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण विरोधाभास और तथ्य छिपाए जाने की बात सामने आई।उन्होंने स्वीकार किया कि रिपोर्ट दर्ज कराने में लगभग छह महीने के विलंब हुआ था और कथित घटना के बाद भी वे आरोपी के बगीचे में जाती रही थीं।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई ग्रामीण आरोपी के बोरवेल से पानी भरते थे और आरोपी के घर से आने वाली चीखें आसपास के घरों में सुनाई देती थीं।उसने बताया कि आरोपी ने उसे चाकू से धमकाया था, इसलिए उसने शोर नहीं मचाया था।उसने यह भी स्वीकार किया कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं आई थी और कथित घटना के बाद कई महीनों तक उसका वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से चलता रहा।उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने आरोपी को अपनी आँखों से कोई तस्वीर लेते या वीडियो रिकॉर्ड करते हुए नहीं देखा था।

45. कथित घटना के बाद उनके पहनावे और व्यवहार के संबंध में भी कुछ विरोधाभास देखे गए, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने कई महीनों तक उन्हीं कपड़ों को धोकर दोबारा पहना था। उन्होंने बचाव पक्ष के इस सुझाव का खंडन किया कि उनके पति और जगदीश चंद्रकार ने आरोपी से पैसे ऐंठने के आशय से उसे झूठा फंसाया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

46. कुल मिलाकर, उनके बयान से कथित घटना के समय, तरीके और परिस्थितियों के संबंध में महत्वपूर्ण विसंगतियां सामने आईं।

47. इसी प्रकार, डॉ. श्रीमती राजश्री देवधर (पीडब्लू-12) ने बयान दिया है कि वह वर्ष 2000 से बेमेतरा के सरकारी अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थीं।15 फरवरी 2012 को दोपहर लगभग 2 बजे, उन्होंने अभियोक्ता नानकीबाई सेन (उम्र लगभग 35 वर्ष) की चिकित्सकीय जांच की, जिन्हें कांस्टेबल रीना गायकवाड़ लेकर आई थीं।अभियोक्ता विवाहित थीं और उनके पांच बच्चे थे। उन्होंने नसबंदी करवा ली थी। परिक्षण में उनके शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई और उनका गर्भाशय सामान्य आकार का था।उनकी राय में, हाल ही में हुए यौन संबंध या जबरन बलात्कार का कोई सबूत नहीं मिला। उसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट (प्रदर्श पृष्ठ 13) प्रस्तुत की और बताया कि जांच के लिए भेजी गई पेटीकोट पर कुछ सफेद धब्बे थे। प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया कि शरीर पर किसी प्रकार के बंधन के निशान नहीं मिले और इस प्रकार के धब्बे पति के साथ रहने वाली विवाहित महिला के कपड़ों पर भी हो सकते हैं।

48. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का समग्र रूप से मूल्यांकन करने पर, न्यायालय यह पाता है कि विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया था और आईपीसी की धारा 342, 506-बी और 376 के तहत उत्तरवादी संख्या 2 को आरोपों से दोषमुक्त करने के लिए ठोस और विश्वसनीय कारण बताए थे। अभियोक्ता (पीडब्लू-1) का बयान, हालांकि विस्तृत है, उसमें महत्वपूर्ण

विरोधाभास, चूक और मनगढ़ंत बातें हैं जो उसकी विश्वसनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। एफआईआर दर्ज करने में लगभग छह महीने की महत्वपूर्ण विलंब, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है, और उसके बाद भी आरोपी के परिसर में उसका लगातार आना-जाना, उसके बयान की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा करता है।

49. उपलब्ध चिकित्सा एवं फोरेंसिक साक्ष्य बलात्कार के आरोप की पुष्टि नहीं करते है। अभियोक्ता की चिकित्सा परिक्षण में उसके शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई, न ही हाल ही में जबरदस्ती यौन संबंध का कोई संकेत मिला ।फोरेंसिक रिपोर्ट में भी उसके कपड़ों पर वीर्य या मानव शुक्राणु की उपस्थिति नहीं पाई गई।इस प्रकार के सहायक साक्ष्य का अभाव, यद्यपि अपने आप में निर्णायक नहीं है, अभियोक्ता के असंगत और अविश्वसनीय साक्ष्य के साथ मिलकर अभियोजन पक्ष के संस्करण को संदिग्ध बना देता है।

50. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत दोषसिद्धि का आधार बनने वाला इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, अर्थात् मेमोरी कार्ड (प्रदर्श पृष्ठ 6), आरोपी के कब्जे से नहीं बल्कि कई लोगों,पीडब्लू संख्या 2 सनत सेन, पीडब्लू 5 रजनीकांत और पीडब्लू 9 हुलास दास मानिकपुरी के माध्यम से बरामद किया गया था, जिससे अभिरक्षा श्रृंखला में गंभीर बाधा उत्पन्न हुई।इसके अलावा, वीडियो युक्त होने का आरोप लगाया गया मूल मोबाइल फोन कभी जब्त नहीं किया गया और न ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।ऐसे प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी(4) के तहत प्रमाण पत्र के अभाव में, मेमोरी कार्ड को केवल द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य माना जा सकता है, जो विधिक रूप से अस्वीकार्य है। अतः आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा ऐसे साक्ष्य पर भरोसा करना विधिक रूप से अस्थिर था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

51. यह सर्वविदित है कि दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध अपील में, अपीलीय न्यायालय सामान्यतः विचारण न्यायालय के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करता है, जब तक कि वे विकृत, स्पष्ट रूप से अवैध या साक्ष्य के पूर्णतः गलत विश्लेषण पर आधारित न हों।जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **तोता सिंह (उपरोक्त) और जाफरूद्दीन (उपरोक्त)** में दोहराया है, यदि साक्ष्य के आधार पर दो दृष्टिकोण यथोचित रूप से संभव हैं, तो वह दृष्टिकोण मान्य होगा जो आरोपी के पक्ष में है।वर्तमान प्रकरण में,विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण तर्कसंगत और सुविचारित है, जो साक्ष्यों के उचित विश्लेषण और स्थापित विधिक सिद्धांतों पर आधारित है।

52. परिवादी और अपीलकर्ता दोनों के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा जिन न्यायिक दृष्टांत का उल्लेख किया गया है—

अर्थात गुरमीत सिंह (उपरोक्त), रघुबीर सिंह (उपरोक्त), छोटे लाल (उपरोक्त), फूल सिंह (उपरोक्त), और लोक मल उर्फ लोकु (उपरोक्त)—वे वर्तमान प्रकरण में सहायक नहीं हैं।उपरोक्त सभी निर्णयों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभियोक्ता के सुसंगत, विश्वसनीय और पुष्ट साक्ष्यों के आधार पर, चिकित्सा और

फोरेंसिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित, तथा उन प्रकरणो में जहां एफआईआर दर्ज करने में हुई किसी भी विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया था, अभियुक्तों की दोषसिद्धि को यथावत रखा गया।

53. हालांकि, वर्तमान प्रकरण की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पूरी तरह से भिन्न है।यहां एफआईआर दर्ज करने में लगभग छह महीने की अस्पष्ट विलंब हुआ है; चिकित्सा रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न या प्रतिरोध का कोई संकेत नहीं मिलता; और पीड़िता सहित अभियोजन पक्ष के साक्षी ने अपने बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास और चूक की हैं।इसके अलावा, पीड़िता का आचरण और सहायक साक्ष्यों का अभाव उसके बयान को संदिग्ध बनाता है। ऐसी परिस्थितियों में, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों का अनुपात इस प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं किया जा सकता है, इसलिए वे पूर्व उदाहरण किसी भी पक्ष के लिए सहायक नहीं हैं।

54. तदनुसार, यह न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा उत्तरवादी संख्या 2 को धारा 342, 506-बी और 376 आईपीसी के तहत अपराधों से दोषमुक्त करने या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के मूल्यांकन में कोई विकृति, अवैधता या महत्वपूर्ण अनियमितता नहीं पाता है।

55. **एम.आर. हीरेमठ (उपरोक्त**) के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आयकर अधिनियम की धारा 65 पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया है: --

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"13. उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही रद्द करने का मूल आधार यह परिकल्पना है कि धारा 65 बी, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, इस स्तर पर ऐसे प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाती है; इसके अभाव में अभियोजन पक्ष का मामला विफल हो सकता है।धारा 65 बी इस प्रकार है:"धारा 65(बी)इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की स्वीकार्यता- (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में निहित कोई भी सूचना, जो कागज पर मुद्रित हो, ऑप्टिकल या चुंबकीय माध्यमों में संग्रहीत, रिकॉर्ड की गई हो या कंप्यूटर द्वारा निर्मित (जिसे आगे कंप्यूटर आउटपुट कहा गया हो) प्रतिलिपि में हो, उसे भी दस्तावेज माना जाएगा, यदि इस धारा में उल्लिखित शर्तें संबंधित सूचना और कंप्यूटर के संबंध में पूरी होती हों, और यह किसी भी कार्यवाही में, बिना किसी और प्रमाण या मूल प्रति प्रस्तुत किए, मूल की किसी भी विषयवस्तु या उसमें वर्णित किसी भी तथ्य के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगी, जिसके प्रत्यक्ष साक्ष्य स्वीकार्य होंगे।(2) उपधारा (1) में कंप्यूटर आउटपुट के संबंध में निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:

(क) सूचना युक्त कंप्यूटर आउटपुट उस अवधि के दौरान कंप्यूटर द्वारा उत्पादित किया गया था, जिस अवधि में कंप्यूटर का उपयोग नियमित रूप से सूचना को संग्रहित करने या संसाधित करने के लिए किया जाता रहा हो, उस अवधि में कंप्यूटर के उपयोग पर वैध नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली किसी भी गतिविधि के प्रयोजनों के लिए।

(ख) उक्त अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी या जिस प्रकार की जानकारी से वह जानकारी प्राप्त हुई है, उस प्रकार की जानकारी उक्त गतिविधियों के सामान्य क्रम में नियमित रूप से कंप्यूटर में दर्ज की जाती थी।

(ग) उक्त अवधि के अधिकांश भाग में कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा था, या यदि नहीं, तो जिस अवधि में वह ठीक से काम नहीं कर रहा था या उस अवधि के उस भाग के लिए बंद था, वह ऐसी स्थिति नहीं थी जिससे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या उसकी सामग्री की सटीकता प्रभावित हो; और

(घ) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी उक्त गतिविधियों के सामान्य क्रम में कंप्यूटर में दर्ज की गई ऐसी जानकारी को पुन: प्रस्तुत करती है या उससे प्राप्त की गई है।

(3) जहाँ किसी अवधि में, उपधारा (2) के खंड (क) में उल्लिखित उस अवधि में नियमित रूप से संचालित होने वाली किसी गतिविधि के प्रयोजनों के लिए सूचना को संग्रहित करने और संसाधित करने का कार्य नियमित रूप से कंप्यूटरों द्वारा किया जाता था, चाहे–

(क) उस अवधि में संचालित होने वाले कंप्यूटरों के संयोजन द्वारा, या

(ख) उस अवधि में क्रमिक रूप से संचालित होने वाले विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा; या

(ग) उस अवधि में क्रमिक रूप से संचालित होने वाले कंप्यूटरों के विभिन्न संयोजनों द्वारा; या

(घ) उस अवधि के दौरान किसी अन्य तरीके से, जिसमें एक या एक से अधिक कंप्यूटर और एक या एक से अधिक कंप्यूटरों के संयोजन का क्रमिक संचालन शामिल हो, चाहे किसी भी क्रम में,उस अवधि के दौरान उस उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए सभी कंप्यूटरों को इस धारा के प्रयोजन के लिए एक ही कंप्यूटर माना जाएगा और धारा में कंप्यूटर के किसी भी संदर्भ को तदनुसार समझा जाएगा।

(4) किसी भी कार्यवाही में जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में कोई कथन प्रस्तुत करना वांछित हो, एक प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता हो, अर्थात्—

(क) कथन वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहचान करना और उसे प्रस्तुत करने के तरीके का वर्णन करना;

(ख) उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के निर्माण में प्रयुक्त किसी भी उपकरण का ऐसा विवरण देना जो यह दर्शाने के लिए उपयुक्त हो कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कंप्यूटर द्वारा निर्मित किया गया था;

(ग) उपधारा (2) में उल्लिखित शर्तों से संबंधित किसी भी मामले से संबंधित,और संबंधित उपकरण के संचालन या संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन (जो भी उपयुक्त हो) के संबंध में किसी जिम्मेदार आधिकारिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने का दावा करने वाला प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र में उल्लिखित किसी भी मामले का प्रमाण होगा; और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी मामले को बताने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार बताना ही पर्याप्त होगा

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी कंप्यूटर को सूचना तब दी गई मानी जाएगी जब वह उसे किसी उपयुक्त रूप में दी जाए और चाहे वह सीधे तौर पर दी जाए या (मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना) किसी उपयुक्त उपकरण के माध्यम से दी जाए;

(ख) यदि किसी अधिकारी द्वारा किए जा रहे कार्यों के दौरान किसी कंप्यूटर द्वारा उन कार्यों के प्रयोजनों हेतु संग्रहित या संसाधित किए जाने के उद्देश्य से कोई सूचना प्रदान की जाती है, तो यदि वह सूचना उस कंप्यूटर को विधिवत रूप से प्रदान की गई है, तो उसे उन कार्यों के दौरान ही प्रदान की गई सूचना माना जाएगा;

(ग) किसी कंप्यूटर आउटपुट को कंप्यूटर द्वारा उत्पादित माना जाएगा, चाहे वह कंप्यूटर द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उत्पादित किया गया हो या (मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना) किसी उपयुक्त उपकरण के माध्यम से। स्पष्टीकरण
—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी सूचना के अन्य सूचना से प्राप्त होने का संदर्भ गणना, तुलना या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा उससे प्राप्त होने के संदर्भ से होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. धारा 65 बी के प्रावधानों की व्याख्या के लिए इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर 5 प्रकरण में विचार किया।इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

"साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य, धारा 59 और 65-ए के अनुसार, केवल धारा 65-बी में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही सिद्ध किया जा सकता है। धारा 65-बी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की स्वीकार्यता से संबंधित है।"इन प्रावधानों का उद्देश्य कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक रूप में द्वितीयक साक्ष्य को वैध बनाना है।"

5. धारा 65 बी(4) किसी भी कार्यवाही में लागू होती है, "जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य के रूप में कोई कथन प्रस्तुत करना वांछित हो"।उपधारा (4) के इस पहलू पर जोर देते हुए, अनवर मामले में निर्णय में कहा गया है कि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में उपयोग करने का प्रयास किया जाता है।निर्णय के निम्नलिखित अंश में इसे स्पष्ट किया गया है:

"सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे कंप्यूटर प्रिंटआउट, कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी), वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क (वीसीडी), पेन ड्राइव आदि, जिनके संबंध में साक्ष्य के रूप में कोई बयान दिया जाना है, को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने पर उसके साथ एक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।"इन सभी सुरक्षा उपायों का उद्देश्य स्रोत और प्रामाणिकता सुनिश्चित करना है, जो साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की दो प्रमुख विशेषताएं हैं।इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में छेड़छाड़, परिवर्तन, स्थानांतरण, विलोपन आदि की संभावना अधिक होती है, इसलिए ऐसे सुरक्षा उपायों के बिना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाण पर आधारित पूरा विचारण न्याय का उपहास कर सकता है।"(जोर दिया गया)

16.इसी दृष्टिकोण को इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सीडीआर रविंद्र वी देसाई के प्रकरण में दोहराया है।न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि धारा 65 बी के तहत पहले प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना एक सुधारा जा सकने वाला दोष है।न्यायालय ने सोनू उर्फ अमर बनाम हरियाणा राज्य के पूर्व निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था:

"इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई महत्वपूर्ण कसौटी यह है कि क्या दस्तावेज़ को चिह्नित करते समय दोष को सुधारा जा सकता था।इस कसौटी को वर्तमान प्रकरण पर लागू करते हुए, यदि प्रमाण पत्र के बिना सीडीआर को चिह्नित करने पर आपत्ति उठाई गई थी, तो न्यायालय अभियोजन पक्ष को कमी को सुधारने का अवसर दे सकता था।"(जोर दिया गया)

17.विधि के उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की कि आरोप पत्र दाखिल करने के चरण में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी (4) के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफलता अभियोजन के लिए घातक थी।इस प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता तब उत्पन्न होगी जब विचारण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। इसी चरण में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता उत्पन्न होगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

56. **एम.आर. हीरेमठ (उपरोक्त)** के आलोक में प्रकरण के तथ्यों पर फिर से विचार करते हुए, साथ ही रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों, विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्षों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाले विधिक सिद्धांतों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, यह न्यायालय इस विचार पर पहुंचा है कि आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।अभियोजन पक्ष इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य में स्वीकार्य बनाने के लिए आवश्यक आधारभूत तथ्यों को स्थापित करने में विफल रहा है।मेमोरी कार्ड (प्रदर्श पी-6), जो दोषसिद्धि का एकमात्र आधार था, कभी भी अपीलकर्ता के कब्जे या नियंत्रण से बरामद होने का प्रमाण नहीं दिया गया, और कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो वाला प्राथमिक उपकरण (मोबाइल फोन) न तो जब्त किया गया और न ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।अभिरक्षा की श्रृंखला टूट गई है, और अभियोजन पक्ष इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रामाणिकता और अखंडता को साबित करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65-बी(4) के तहत अनिवार्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

57. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अर्जुन पंडितराव खोटकर (उपरोक्त) और एम.आर. हीरेमठ (उपरोक्त)** प्रकरण में प्रतिपादित स्थापित विधिक स्थिति को देखते हुए, तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 65-बी(4) का अनुपालन द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए एक अनिवार्य शर्त है। इस अनुपालन के अभाव में, किसी भी दोषसिद्धि को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री पर आधारित नहीं किया जा सकता है।

58. तदनुसार, विचारण न्यायालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता को दिया गया दंड विधिक रूप से अस्थिर पाई गई है और इसे अपास्त किया जाता है।अपीलकर्ता को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।आईपीसी की धारा 342, 506-बी और 376 के तहत अपराधों के लिए अपीलकर्ता को दोषमुक्त किए जाने का निर्णय, जैसा कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया है, की पुष्टि की जाती है।

59. परिणामस्वरूप, और उपरोक्त कारणों से, यह न्यायालय परिवादी द्वारा दायर दोषमुक्त करने की अपील में कोई सार नहीं पाता है।विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन किया है और उत्तरवादी संख्या 2 को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 342, 506-बी और 376 के तहत दंडनीय अपराधों से सही ढंग से दोषमुक्त कर दिया है।इन मामलों पर विचारण न्यायालय के निष्कर्ष तथ्यों के उचित विश्लेषण, सुसंगत न्यायिक तर्क पर आधारित हैं और इनमें कोई विकृति या विधि विरुद्ध नहीं है जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।तदनुसार,दोषमुक्त करने की अपील संख्या 65/2013 खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

60. यद्यपि, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत दोषसिद्धि का एकमात्र आधार इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की अस्वीकार्यता के संबंध में उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, न्यायालय को निचली अदालत द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार प्राप्त होता है। अभियोजन पक्ष आवश्यक आधारभूत तथ्यों को सिद्ध करने और मेमोरी कार्ड (एक्स पी/ 6) को साक्ष्य में स्वीकार करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65-बी के तहत अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहा है।परिणामस्वरूप, आयकर अधिनियम की धारा 67 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को यथावत नहीं रखा जा सकता है।

61. फलस्वरूप, अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 82/2014 स्वीकार की जाती है।छत्तीसगढ़ के राजस्व जिला बेमेतरा, दुर्ग सिविल जिला, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र विचारण संख्या 36/2012 में दिनांक 07.08.2013 को पारित दोषसिद्धि का निर्णय और दंड का आदेश, जिसमें अपीलकर्ता को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत दोषी ठहराया गया था, को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है, और अपीलकर्ता को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।यदि अपीलकर्ता द्वारा जुर्माने की राशि पहले ही जमा कर दी गई है, तो उसे तुरंत वापस कर दी जाएगी।उसकी जमानत उन्मोचित मानी जाएगी।

62. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की प्रमाणित प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख सहित संबंधित न्यायालय को सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिए तुरंत प्रेषित करे।

सही/-
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/-
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक*

प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur